C.R.B. 250

निगरानी प्रकरण क्रमांक :----

श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालीयर के न्यायालय मे ।

गब्बू पिता नाथू भील

निवासी ग्राम बोधवाडा, तह0 धार, जिला धार -- प्रार्थी

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन तर्फे कलेक्टर धार -- प्रतिप्रार्थी

646
3-11-93

श्रीमान आयुक्त महोदय इंदौर संभाग इंदौर के द्वारा प्रकरण क्र 471 अपील । 91-92 मे दिनांक 26।7।93 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह निगरानी निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत की है ।

निगरानी के आधार :-

1:- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 35 सीलींग ऐक्ट के अंतर्गत जो नियम बनाये है, उन पर विचार न करते हुवे निर्णय पारित करने मे गंभीर वैधानिक भूल की है ।

2:- यह कि प्रार्थी खेतीहर मजदूर होकर उनके पास स्वयं की अथवा परिवार के सदस्यों की कोई भी भूमि नही है, अधिनस्थ आयुक्त महोदय ने अपने निर्णय मे जो निष्कर्ष निकाला है कि प्रार्थी के पिता के पास 2-024 हेक्टर भूमि का पट्टा है, यह तथ्य वास्तविकता से विपरित प्रार्थी के पिता ने प्रार्थी की मां को जब प्रार्थी बहुत छोटा था, तभी छोड़ दिया था। प्रार्थी का नाथू भील से कोई संबंध नही है केवल वह जन्मदाता पिता है । किंतु प्रार्थी के बचपन से ही प्रार्थी के मां के साथ प्रार्थी के घर निकाल देने के कारण नाथू भील के पास भूमि का पट्टा हो तो भी उसका असर प्रार्थी के पट्टा प्राप्ती की पात्रता पर नही हो सकता है। इस दृष्टि

16/9/15

आवेदक अभिभावक पूर्व पेशी 17/6/15 पर उपस्थित। आज दिनांक को उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवायी गयी। कोई उपस्थित नहीं। आवेदक अभिभावक की अनुपस्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

अध्यक्ष

[कृ. प. उ.